न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपीलः 07/2026
दायर दिनांकः 30.01.2026
निर्णय दिनांक 05.05.2026

—: अनवान :—

श्री राजू उर्फ राजेश पिता स्व. शंकर जी भील, उम्र 43 वर्ष निवासी धोइन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— अपीलार्थी

—: बनाम :—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब राजसमंद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
2. श्री खेमा पिता भेरा जी भील उम्र वयस्क निवासी धोइन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
3. श्री सोहन पिता भेरा जी भील उम्र वयस्क निवासी धोइन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 770 दिनांक 09.05.1986 स्वीकृत द्वारा तहसीलदार राजसमन्द।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री लोकेश भाटी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3. श्री कपील व्यास, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकण संख्या 770 दिनांक 09.05.1986

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

में खातेदार स्वर्गीय भेरा पिता नंगा भील निवासी धोइन्दा थे। उक्त आराजी के वर्तमान आराजी नं. 3537/6 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आ. नं. 3539/6 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा है। स्व. श्री भेरा पिता नंगा जी भील निवासी धोइन्दा का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :–

स्व0 भेरा पिता नंगा जी भील

|

शंकर	खेमा	सोहन	तुलसी बाई
मृतक	पुत्र	पुत्र	मृतक पत्नी

|

राजू उर्फ राजेश

स्व. श्री भेरा पिता नंगा जी भील निवासी धोइन्दा का उपरोक्त आराजी नंबर 543 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, स्व. भेरा जी की मृत्यु होने से भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरण खेमा, सोहन, राजू पिता भेरा व तुलसी बाई बेवा भेरा जी भील के नाम दिनांक 09.05.1986 को फेसल कर दिया तथा उक्त नामान्तरण खोलते वक्त अपीलार्थी के पिता शंकर जी की मृत्यु हो चुकी थी तथा पटवारी हल्का के द्वारा भेरा जी व मृतक शंकर जी के वारिसान का सही ढंग से पता नहीं कर मनमाने तरीके से भेरा जी की मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरण खेमा, सोहन, राजू पिता भेरा व तुलसी बाई बेवा भेरा जी भील के नाम खोल कर स्वीकृत कर दिया, जबकि राजू शंकर जी भील का पुत्र है व भेरा जी का पोत्र है, स्वीकृत नामान्तरण में राजू को भेरा जी का पुत्र दर्शाया गया है, जो गलत है। इस प्रकार विधि अनुसार स्व. भेरा का हिस्सा अपीलार्थी के पिता स्व.शंकर जी के नाम 1/4 हिस्सा से व अपीलार्थी के पिता स्व.शंकर जी की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी का 1/4 हिस्सा विवादग्रस्त कृषि भूमि आराजी नं. 3537/6 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आ. नं. 3539/6 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में दर्ज होना चाहिये, परन्तु उन्होने अपीलार्थी को मृतक भेरा का पुत्र दर्शाते हुए 1/4 हिस्सा से नामान्तरण स्वीकृत कर दिया व आगे भी नकल जमा बन्दी में उपरोक्तानुसार अपीलार्थी का नाम भेरा जी के पुत्र की हैसियत से अंकित हो गया। जो कि प्रारम्भ से ही गलत, विधि के प्रतिकुल एवं शून्य होकर खारिज योग्य है। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा दिनांक 09.05.1986 को जो नामान्तरण सं. 770 आराजी नं. 543 वर्तमान आ. नं. 3537/6 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आ. नं. 3539/6 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा का खोला जाकर स्वीकृत किया गया, जो कि स्व. भेरा जी के वारिसान मौके पर गये बिना व विस्तृत व गम्भीर जॉच किये बगेर मन मर्जी से नामान्तरण खोल व स्वीकृत कर दिया। यह सारा कार्य

न्यायालय जिला कलक्टर नाथद्वारा (राज.)

गया, जो कि स्व. भेरा जी के वारिसान मौके पर गये बिना व विस्तृत व गम्भीर जॉच किये बगेर मन मर्जी से नामान्तरण खोल व स्वीकृत कर दिया। यह सारा कार्य रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक के द्वारा अवैधानिक रूप से जल्दबाजी में बिना गम्भीर जॉच किये किया गया है, जो कि प्रारम्भ से ही गलत होकर अपीलार्थी के हक की सीमा तक शून्य होकर निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपरोक्त नामान्तरण सं. 770 दिनांक 09.05.1986 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री कपिल व्यास ने उपस्थित दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम धोइन्दा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद में आराजी नं. 543 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित होकर उसके राजस्व रेकार्ड में खातेदार स्वर्गीय भेरा पिता नंगा भील निवासी धोइन्दा थे। उक्त आराजी के वर्तमान आराजी नं. 3537/6 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आ. नं. 3539/6 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा है। स्व. भेरा जी की मृत्यु होने से भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरण खेमा, सोहन, राजू पिता भेरा व तुलसी बाई बेवा भेरा जी भील के नाम दिनांक 09.05.1986 को फेसल कर दिया तथा उक्त नामान्तरण खोलते वक्त अपीलार्थी के पिता शंकर जी की मृत्यु हो चुकी थी तथा पटवारी हल्का के द्वारा भेरा जी व मृतक शंकर जी के वारिसान का सही ढंग से पता नहीं कर मनमाने तरीके से भेरा जी की मृत्यु के पश्चात विरासत से नामान्तरण खेमा, सोहन, राजू पिता भेरा व तुलसी बाई बेवा भेरा जी भील के नाम खोल कर स्वीकृत कर दिया, जबकि राजू शंकर जी भील का पुत्र है व भेरा जी का पोत्र है, स्वीकृत नामान्तरण में राजू को भेरा जी का पुत्र दर्शाया गया है, जो गलत है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उपरोक्त नामान्तरण सं. 770 दिनांक 09.05.1986 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण के नामान्तरण संख्या 770 दिनांक 09.05.1986 को निरस्त किया जाता है और अपील स्वीकार फरमाई जाती हैं। तो उन्हे कोई आपत्ती नही हैं।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद द्वारा खोले गए नामांतरण संख्या 770, दिनांक 14.05.1986 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस नामांतरण का विवादित विषय मात्र यह है कि अपीलांट श्री राजू उर्फ राजेश, पिता स्वर्गीय शंकर जी भील के पिता का नाम विवादित नामांतरण संख्या 770 में स्वर्गीय श्री भेरा जी, पिता नंगा जी भील अंकित किया गया है, जो उसके पिता नहीं होकर उसके दादाजी हैं। यहाँ अपील में यह स्पष्ट लिखा गया है कि स्वर्गीय भेरा जी के तीन पुत्र थे, खेमा, सोहन तथा शंकर। तथा शंकर की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांट राजू उर्फ राजेश शंकर का पुत्र है। भूमि का हिस्सा सही अंकित किया गया है, मात्र पिता का नाम शंकर के स्थान पर श्री भेरा अंकित किया गया है जो उनके दादा हैं। यह बहुत ही सीमित विवाद है जिसे कि रेस्पोंडेंट संख्या 1, 2 व 3 ने स्वीकार किया है। अतः मात्र यह एक तथ्यात्मक भूल है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामांतरण को स्वीकृत करते समय की गई है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायहित में उचित है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत आक्षेपित नामांतरण संख्या 770, दिनांक 14.05.1986 निरस्त किया जाता हैं। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि उनके पिता का नाम श्री भेरा जी के स्थान पर श्री शंकर जी अंकित किया जाए और नामांतरण स्वीकृत करते समय इसके लिए विहित प्रक्रिया का पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाए।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 05.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)